

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 मई 2020 — ज्येष्ठ 6, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक 4017/डी.88/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-04-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियमित.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलाएगा.
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 16-क का
संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) में, धारा 16-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“16-क. कोई भी सोसाइटी, किसी भी सरकार के उपक्रम, सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी विशेष कारबार के लिये, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी :

परन्तु यह कि कोई भी सहकारी सोसाइटी, साधारण सभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उसके साधारण सम्मिलन में पारित, संकल्प द्वारा, ऐसा सहयोग कर सकेगी :

परन्तु यह और कि ऐसी सहकारी सोसाइटी को, ऐसा सहयोग करने के पूर्व, प्रत्येक मामले में, राज्य सरकार की लिखित पुर्वानुमति अनिवार्य होगी :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार, अपने उक्त अधिकार (शक्ति) को आवश्यकतानुसार किसी सक्षम अधिकारी को प्रत्यायोजित भी कर सकती है.”

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्र. 1 सन् 2020) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

अटल नगर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक 4017/डी.88/21-ब/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 27-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2020)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT)
ACT, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-----|---|--|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2020. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) | It extends to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | In the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), for Section 16-A, the following shall be substituted, namely :- | Amendment of Section 16-A. |
| | | <p>“16-A. Any society may, enter into the collaboration with any Government Undertaking, Cooperative Society or any Undertaking approved by the State Government or a Private enterprise for carrying on any specific business including industrial investment, financial aid or marketing and management expertise :</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that any society may enter into such collaboration by a resolution of the general body passed, at its general meeting by a simple majority of the members present and voting :</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided further that in each case, the society has to take prior permission in writing of the State Government before entering into such collaboration :</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided further also that the State Government may delegate its above powers to any competent officer as required.”</p> | |
| 3. | | The Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2020 (No. 1 of 2020) is hereby repealed. | Repeal. |